<u>न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर</u>

अपील निर्वाचन सं0 26/2020

1. बदन सिंह पुत्र सुखराम
2. हरदेई पत्नी बदन सिंह
3. रामदेई पत्नी सुखराम
4. सुधा पत्नी पुष्पेन्द्र

निवासीयान वार्ड नम्बर 21, कस्बा नदबई जिला भरतपुर (राज0) जातियान जाट

.... अपीलांटस

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) नदबई ।

.... रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ मौखिक आदेश दिनांक 20.11.2020.
. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) नदबई।

<u>निर्णय</u> **दिंनांक : 27.11.2020**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध मौखिक आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), नदबई जिला भरतपुर दिनांक 20.11.2020 के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट्स वार्ड न0 21 नदबई में रहते है परन्तु अपीलान्ट्स के नाम विरोधियों ने वार्ड न0 20 नदबई में क्रमांक 68 से 71 में गलत रूप से अंकित करा दिया है। इस बाबत् प्रारूप संख्या 03 एस. डी. एम. नदबई को प्रस्तुत किये गये थे, जिन्हें उनके द्वारा लेने से इन्कार कर दिया। अपीलान्ट्स द्वारा वार्ड न0 20 से वार्ड न0 21 कस्बा नदबई में अपने नाम शिफ्ट कराये जाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील के साथ निर्वाचक **नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए दावा आवेदन** संलग्न किये गए हैं,जिनके अवलोकन पर उक्त आवेदनों पर न तो सम्बन्धित बी0एल0ओ0 [illegible] पटवारी आदि की कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 15:39:58 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट अथवा टिप्पणी अंकित है और न ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम). नदबई का कोई आदेश पारित करने का उल्लेख है । अपीलान्ट्स द्वारा वार्ड संख्या 20 कस्बा नदबई से वार्ड संख्या 21 कस्बा नदबई में अपने नाम जुड़वाने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), नदबई के यहां प्रस्तुत किये गए आवेदनों की कोई भी प्रमाणित प्रति अपनी अपील के साथ संलग्न नहीं की गई है। अपीलान्ट्स निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), नदबई के किस आदेश के विरूद्ध अपील लेकर आए हैं, का भी कोई उल्लेख उनकी अपील में वर्णित नहीं है, और न उक्त आदेश की कोई प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), नदबई के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत ही नहीं किया है। अपील केवल किसी तहत न्यायालय के आदेश के विरूद्ध ही प्रस्तुत की जा सकती है। अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 27.11.2020 को लिखा जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 15:39:58 IST
Reason: SelfAttested